अति–आवश्यक
द्वारा–ईमेल / स्पीड पोस्ट

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 744 दिनांकः– 18/5/2020

प्रधानाचार्य,
समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान
राजस्थान।

विषयः– आपकी कॉलेज / संस्थान की मान्यता संबंधित दस्तावेज छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

संदर्भः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 08.05.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप आपकी कॉलेज / संस्था को राजस्थान पैरामेडिकल, कौंसिल, जयपुर से सत्र 2018–2019 एवं 2019–2020 में प्राप्त मान्यता से संबंधित पूर्ण दस्तावेज छात्रवृति पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर अति शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मान्यता से संबंधित पूर्ण दस्तावेज छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड नहीं होने की स्थिती में आपकी कॉलेज / संस्थान का कोई भी अभ्यर्थी बिना छात्रवृति के रह जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वंय की होगी, तथा किसी न्यायालय / आयोग द्वारा किसी देयता का निर्धारण किया जाता है, तो वह सम्पूर्ण देयता संबंधित महाविद्यालय की होगी।

अतः उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18/5/2020
(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2020 / 744 दिनांकः– 18/5/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल,कौंसिल, एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 08.05.2020 के क्रम में।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को कौंसिल की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।

18/5/2020
रजिस्ट्रार

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(10) छात्र. पो. / सान्याअवि / 2019-20 / 1639 दिनांक 08/5/2020

रजिस्ट्रार/डीन/प्रशासक/निदेशक
राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल,
राजस्थान

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/ DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत महाविद्यालयो/शिक्षण संस्थानों सत्र 2018-19 एवं 2019-20 की मान्यता/सम्बद्धता सत्यापन के दौरान अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवगत कराया है कि संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उक्त सत्र की मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं की गई है।

चूंकि छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति आवेदन से संबंधित शैक्षणिक सत्र में संस्था की मान्यता अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों को नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता शीघ्र प्रदान कराने का श्रम करें ताकि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृति जारी की जा सके। नियत अवधि में शिक्षण संस्थाओं को मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं किये जाने की स्थिति में न्यायालय/आयोग द्वारा यदि किसी प्रकार की छात्रवृति संबंधी देयता का निर्धारण किया जाता है तो सम्पूर्ण देयता संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल की होगी। छात्रवृति पोर्टल पर अनियमित महाविद्यालय पंजीकृत पाये जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

7/5/20
निदेशक

DA Recoy.
Pl. put up.
13/5/2020
765

website – sje.rajasthan.gov.in e-mail: scholarship.sje@rajasthan.gov.in Ph. 0141-2226626